दस रुपये TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEES

(168)

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म०प्र० स्थित ग्वालियर म०प्र०

निगरानी प्र०क्र० R – 484 II/13

तिजू तनय कल्लापित निवासी हरपुरा मड़िया तह० व जिला टीकमगढ़ म० प्र०
.. निगराकार

बनाम

1. मौजीलाल तनय सुक्के बाढ़ई
2. जयनारायण तनय सुक्के बाढ़ई दोनेा निवासियान ग्राम हरपुरा मड़िया तह० व जिला टीकमगढ़ म० प्र०
.. अनावेदक

निगरानी प्रस्तुत न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ म० प्र० के निगरानी प्रकरण क्र० 80/2005-06 मे पारित आदेश दिनांक 29/1/2013 के विरुद्ध अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू०रा०सं० 1959

महोदय,

निगराकार की विनय सादर प्रस्तुत है:

1. यहकि माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के यहां एक निगरानी नायब तहसीलदार समर्रा के प्र०क्र० 7/अ-12/2003-04 मे पारित आदेश दिनांक 21/11/03 के विरुद्ध विचाराधीन थी जिसमे माननीय कमिश्नर महोदय सागर के न्यायलीन प्रकरण क्र० निग० 525/अ-12/2005-06 दिनांक 13/1/2012 के द्वारा प्रकरण को गुण दोषो के आधार पर निराकरण किए जाने बावत प्रत्यावर्तित किया था परंतु माननीय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण को अवैध तरीके से निराकृत किया है इस कारण आदेश दिनांक 29/1/2013 स्थिर रखने योग्य नही है।

2. यहकि सीमांकन प्रकरणो मे सर्वप्रथम यह देखा जाना चाहिए कि जिस खसरा नम्बर को सीमांकन होना है क्या उसकी पूर्व से तरमीम है अथवा नही इस परिपेक्ष्य मे विवादित खसरा नंबर 236 की पूर्व से तरमीम नही थी उसका कारण यह था कि अनावेदक को 1.50एकड़ का अवैध पटटा जारी किया गया था जब कि आवेदक का ख०न० 236 के कुल रकवा 1.80एकड़ मे से 70 डिसमिल पर आवेदक का कब्जा था इस कारण आवेदक ने अनावेदक के पटटे केविरुद्ध निरस्तीके लिए आवेदन दिया था जो आज भी माननीय उच्च न्यायालय मे याचिका क्र० 1858/2006 आज भी विचाराधीन है। आवेदक निगराकार के द्वारा ...

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-484-दो/2013 जिला टीकमगढ़ तिजू विरूद्ध मौजीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08-01-2019 08/01/2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री कुंवर सिंह कुशवाह उपस्थित । आवेदक के द्वारा अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 80/निगरानी/2005-06 में पारित आदेश दिनांक 29-01-2013 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 04-02-2013 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अपर कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

08/01/2019
(आर.के. जैन)
सदस्य